<u>प्रेस विज्ञप्ति</u>
<u>22/12/2025</u>

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), कोलकाता आंचलिक कार्यालय ने प्रयाग ग्रुप ऑफ कंपनीज और उसके निदेशकों के खिलाफ धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत धन शोधन के एक मामले में 15/12/2025 की तारीख का एक अनंतिम कुर्की आदेश (पीएओ) जारी किया है।

ईडी ने केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) द्वारा दर्ज की गई प्राथमिकी और आरोप पत्र के आधार पर जांच शुरू की, जो भादस , 1860 की धाराओं और इनामी चिट और धन परिचालन स्कीम (पाबंदी) अधिनियम, 1978 के तहत दर्ज की गई थी। उक्त प्राथमिकी प्रयाग ग्रुप द्वारा अनधिकृत जमा योजनाओं के माध्यम से बड़े पैमाने पर अवैध जमा जुटाने से संबंधित है।

ईडी की जांच में पता चला कि प्रयाग ग्रुप ने मुख्य रूप से अपनी कंपनियों प्रयाग इन्फोटेक हाई-राइज लिमिटेड और प्रयाग इन्फोटेक नेटवर्क प्राइवेट लिमिटेड के माध्यम से आरबीआई या सेबी से बिना किसी अनुमोदन के अवैध जमा और धन परिचालन (मनी सर्कुलेशन) स्कीमों के माध्यम से उच्च रिटर्न की पेशकश करके 38,71,674 जमाकर्ताओं से कुल 2,863 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी से राशि एकत्र की। दिनांक 31.03.2016 तक, जमाकर्ताओं के 1,906 करोड़ रुपये (ब्याज को छोड़कर) के बकाया का भुगतान नहीं किया गया है।

ईडी की जांच में आगे पता चला कि एकत्रित धन का उपयोग किसी भी वैध व्यावसायिक गतिविधियों के लिए नहीं किया गया था। इसके बजाय, समूह ने एक पोंजी-प्रकार की योजना चलाई, जिसमें नए निवेशकों से प्राप्त धन का उपयोग पहले के निवेशकों को चुकाने के लिए किया गया, जबकि धन का एक बड़ा हिस्सा भूमि, होटल, फिल्म सिटी परियोजनाओं, कंपनियों के अधिग्रहण, एजेंटों को कमीशन भुगतान, विज्ञापन, सेलिब्रिटी प्रचार और प्रमोटरों और उनके परिवार के सदस्यों के व्यक्तिगत संवर्धन के लिए लगाया गया।

ईडी की जांच में यह पाया गया कि प्रयाग ग्रुप के निदेशक और प्रमोटर बासुदेव बागची, अविक बागची और स्वप्ना बागची ने अपराध की आय से व्यक्तिगत रूप से लाभ उठाया, जिसमें पारिश्रमिक के बहाने धन निकालना, अपने व्यक्तिगत नामों पर अचल संपत्ति हासिल करना, बिना प्रतिफल के खुद को शेयर आवंटित करना और संबंधित संस्थाओं को धन भेजना शामिल है।

तदनुसार, ईडी ने प्रयाग ग्रुप की कंपनियों के नाम पर लगभग 104 करोड़ रुपये मूल्य की 450.42 एकड़ भूमि के साथ सुपरस्ट्रक्चर सहित 110 करोड़ रुपये की कुल अचल संपत्ति को अस्थायी रूप से कुर्क किया है, जो पश्चिम बंगाल, बिहार और असम में स्थित है, और निदेशकों अर्थात बासुदेव बागची, अविक बागची और स्वप्ना बागची के नाम पर 6 करोड़ रुपये की अचल संपत्ति कुर्क की गई है।

इस मामले में ईडी द्वारा विशेष पीएमएलए कोर्ट के समक्ष अभियोजन शिकायत पहले ही दायर की जा चुकी है और बासुदेव बागची और अविक बागची वर्तमान में न्यायिक हिरासत में हैं। आगे की जांच जारी है।